FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **घीसालाल बनाम मुनीसुब्रतनाथ दिगंबर जैन** **दीवानी मूल वाद संख्या – 54/2021(29/2010)** **सीआईएस संख्या – 516/2014**	Brief note of Compliance of Order
10.03.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 03.03.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल दिलाई गई व उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किए कि प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज परिवार का सजरा, पट्टा दिनांक 15.10.2023 मय हिन्दी अनुवाद, पट्टा दिनांक 24.07.1924 मय हिन्दी अनुवाद तहरीर संवत 2004 मय हिन्दी अनुवाद, जाहीर सूचना दिनांक 25.03.1979 व रियासत काल रसीदे कुल 23 की फोटोप्रति पेश की थी जिन्हें असल से मिलान करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परंतु असल दस्तावेज रिकोर्ड पर पेश नहीं होने से न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया था। दस्तावेज प्रकरण से संबंधित एवं सुसंगत दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र के साथ उक्त वर्णितानुसार मूल दस्तावेज एवं उनके हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किए जा रहे है। अतः उन्हें रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किए कि वादी द्वारा जो दस्तावेज रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है उक्त दस्तावेज प्रकरण में किसी प्रकार से सुसंगत दस्तावेज हो यह तथ्य अंकित नहीं है, सजरे का कोई विवाद नहीं है। प्रस्तुत रसीदों की कोई सुसंगता नहीं है। दस्तावेज वर्ष 2010, 2012 व 2013 के है जिनको 15 वर्ष तक पेश क्यों नहीं किए गए इसका कोई कारण दर्शित नहीं है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में वादी द्वारा अपनी प्लीडिंग में भी कोई कथन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में बार–बार वादी द्वारा दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने के बार–बार प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलंबित किए जाने के लिए पेश किए जा रहे है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र जिन दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेजों का वाद वर्णित संपत्ति के स्वामित्व बाबत होना बताया गया है जिनमें दस्तावेज परिवार का सजरा, पट्टा दिनांक 15.10.2023 मय हिन्दी अनुवाद, पट्टा दिनांक 24.07.1924 मय हिन्दी अनुवाद तहरीर संवत 2004 मय हिन्दी अनुवाद, जाहीर सूचना दिनांक 25.03.1979 व रियासत काल रसीदे कुल 23 इत्यादि है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त दस्तावेजों के प्रकरण से संबंधित होने तथा पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त प्रश्नों के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु उक्त दस्तावेज साक्ष्य वादी में कई अवसर लिए जाने के उपरांत कापी समय बाद पेश किए गए है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज वादपत्र के साथ ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। चूंकि दस्तावेज वाद से संबंधित एवं	

	महत्वपूर्ण दस्तावेज है अतः उन्हें रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक है पंरतु उक्त दस्तावेज अत्यधिक विलंब से पेश किए गए है तथ विलंब का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विलम्ब के लिए वादीगण पक्ष पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 1000/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट अदायगी उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने की पूर्वभावी शर्त रहेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 11.03.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	